




OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA

आदेश क्रमांक 1/1-2013 Admn(1)

दिनांक, पंचकूला 13/08/2018

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 46/5/2000-5पोल दिनांक 30.07..
2018 जो कि 15 अगस्त, 2018 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे से
सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सुचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. सहायक निदेशक प्रशासन सैकेण्डरी।
8. रजिस्ट्रार सैकेण्डरी शिक्षा।
9. अधीक्षक प्रशासन शाखा प्राईमरी।
10. पी0एस0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशा0।
12. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
13. आई.टी सैल- वेबसाईट पर अपलोड करने बारे।


सहायक निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

काल
तिथिबद्ध

क्रमांक: 46/5/2000-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 30 जुलाई, 2018

संख्या

1. आयुक्त, अम्बाला/रोहतक/गुरुग्राम/हिसार/फरीदाबाद/करनाल मण्डल ।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त ।
3. हरियाणा के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)

विषय:- 15 अगस्त, 2018 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे ।

महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2018 को पूर्व वर्षों की भांति गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित करने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9:00 बजे के तुरन्त बाद करने का निर्णय लिया गया है ।

माननीय राज्यपाल, हरियाणा, यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे । राज्यपाल महोदय की श्रेष्ठ से 15 अगस्त, 2018 की शाम को हरियाणा राज भवन, चण्डीगढ़ में 'एट होम' होगा ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/ सभी मंत्रियों तथा राज्य मंत्रिमण्डल/सरकारी मुख्य सचैतक उनके नामों के आगे लिखे स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे :-

1.	श्री कंवर पाल, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	झज्जर
2.	श्रीमति संतोष यादव, उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	रोहतक
3.	श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री	हिसार
4.	श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री	पलवल
5.	कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री	सोनीपत
6.	श्री ओमप्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री	जीन्द
7.	श्री अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री	चरखी दादरी
8.	श्री नरबीर सिंह, लोक निर्माण मंत्री	कुरुक्षेत्र
9.	श्रीमति कविता जैन, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री	गुरुग्राम
10.	श्री कृष्ण लाल पंवार, परिवहन मंत्री	फरीदाबाद
11.	श्री विपुल गोयल उद्योग मंत्री,	कैथल
12.	श्री मनीष कुमार ग्रोवर, राज्य मंत्री, सहकारिता	पंचकूला
13.	श्री कृष्ण कुमार, राज्य मंत्री, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	पानीपत
14.	श्री कर्ण देव काम्बोज, राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)
15.	श्री बनवारी लाल, राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी	फतेहाबाद
16.	श्री नायब सिंह, राज्य मंत्री, खान एवं भू-विज्ञान	भिवानी
17.	श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक (सरकारी मुख्य सचैतक)	करनाल
18.	श्री विवेक जोशी, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, अम्बाला	अम्बाला
19.	श्रीमति जी.अनुपमा, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, फरीदाबाद	नूँह
20.	श्री श्री सुरेश, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, गुरुग्राम	रेवाडी
21.	श्री राजीव रंजन, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, हिसार	सिरसा

यदि उपरोक्त महानुभावों में से कोई एक स्थानों पर निजी कारणों से नहीं पहुँच पाता तो वहाँ सम्बन्धित उपायुक्त झण्डा फहरायेंगे ।

उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर यह कार्य सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार करेंगे । मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड होगी । जिन स्थानों पर ऐसी परेड के लिए पुलिस बल यथेष्ट रूप में उपलब्ध न हों तो वहाँ गृह रक्षी/नैशनल कैडेट कोर के बलों को भी इस प्रयोजन के लिए पुलिस बल के साथ-2 प्रयोग में लाया जाए ।

6 इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेशों का ध्यान रखा जाये—

- (क) मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड की जाये। हाम गाड़/एनजीओओं के दलों को भी इस प्रयोजन के लिये पुलिस के साथ प्रयोग में लाया जाये।
- (ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में विशेष उत्सवों का आयोजन किया जाये, जिसमें सामूहिक राष्ट्रगान भी हो। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे इस सामारोह में विशेष रूप से भाग लें। इस सम्बन्ध में हिदायतें शिक्षा विभाग द्वारा अलग से जारी की जायेंगी।
- (ग) राष्ट्रीय ध्वज सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाये।

भवदीय

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/ विधान सभा एवं पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव (मनदीप सिंह बराड़) / विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/ विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/ प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/ मंत्रीगण/ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ सचिवों/ सचिवों/ निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव / उप प्रधान सचिव (मनदीप सिंह बराड़) / विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/ विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/ विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा / मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनाएं भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।


पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है :-

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा।
2. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।

अधीक्षक राजनैतिक।






OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA

आदेश क्रमांक 1/1-2013 Admn(1)

दिनांक, पंचकूला 13/08/2018

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 46/5/2000-5पोल दिनांक 30.07..
2018 जो कि 15 अगस्त, 2018 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे से
सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सुचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. सहायक निदेशक प्रशासन सैकेण्डरी।
8. रजिस्ट्रार सैकेण्डरी शिक्षा।
9. अधीक्षक प्रशासन शाखा प्राईमरी।
10. पी0एस0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशा0।
12. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
13. आई.टी सैल- वेबसाईट पर अपलोड करने बारे।


सहायक निदेशक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

काल
तिथिबद्ध

क्रमांक: 46/5/2000-5पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक 30 जुलाई, 2018

संख्या

1. आयुक्त, अम्बाला/रोहतक/गुरुग्राम/हिसार/फरीदाबाद/करनाल मण्डल।
2. हरियाणा के सभी उपायुक्त।
3. हरियाणा के सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।

विषय:- 15 अगस्त, 2018 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे।

महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आगामी स्वतन्त्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2018 को पूर्व वर्षों की भांति गौरवपूर्ण ढंग से आयोजित करने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण प्रातः 9:00 बजे के तुरन्त बाद करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय राज्यपाल, हरियाणा, यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। राज्यपाल महोदय की श्रेणी से 15 अगस्त, 2018 की शाम को हरियाणा राज भवन, चण्डीगढ़ में 'एट होम' होगा।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/सभी मंत्रियों तथा राज्य मंत्रिमण्डल/सरकारी मुख्य सचैतक उनके नामों के आगे लिखे स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे :-

1. श्री कंवर पाल, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	झज्जर
2. श्रीमति संतोष यादव, उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा	रोहतक
3. श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री	हिसार
4. श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मंत्री	पलवल
5. कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री	सोनीपत
6. श्री ओमप्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री	जीन्द
7. श्री अनिल विज, स्वारथ्य मंत्री	चरखी दादरी
8. श्री नरबीर सिंह, लोक निर्माण मंत्री	कुरुक्षेत्र
9. श्रीमति कविता जैन, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री	गुरुग्राम
10. श्री कृष्ण लाल पंवार, परिवहन मंत्री	फरीदाबाद
11. श्री विपुल गोयल, उद्योग मंत्री,	कैथल
12. श्री मनीष कुमार ग्रोवर, राज्य मंत्री, सहकारिता	पंचकूला
13. श्री कृष्ण कुमार, राज्य मंत्री, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता	पानीपत
14. श्री कर्ण देव काम्बोज, राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)
15. डॉ. बनवारी लाल, राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी	फतेहाबाद
16. श्री नायब सिंह, राज्य मंत्री, खान एवं भू-विज्ञान	भिवानी
17. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, विधायक (सरकारी मुख्य सचैतक)	करनाल
18. श्री विवेक जोशी, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, अम्बाला	अम्बाला
19. श्रीमति जी.अनुपमा, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, फरीदाबाद	नूँह
20. श्री सुरेश, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, गुरुग्राम	रेवाडी
21. श्री राजीव रज्ज, आई.ए.एस., आयुक्त मंडल, हिसार	सिरसा

यदि उपरोक्त महानुभावों में से कोई एक स्थानों पर निजी कारणों से नहीं पहुँच पाता तो वहाँ सम्बन्धित उपायुक्त झण्डा फहरायेंगे।

उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर यह कार्य सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)/तहसीलदार करेंगे। मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड होगी। जिन स्थानों पर ऐसी परेड के लिए पुलिस बल यथेष्ट रूप में उपलब्ध न हों तो वहाँ गृह रक्षी/नैशनल कैडेट कोर के बलों को भी इस प्रयोजन के लिए पुलिस बल के साथ-2 प्रयोग में लाया जाए।

6 इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेशों का ध्यान रखा जाये—

- (क) मण्डल/जिला/उपमण्डल/तहसील मुख्यालयों पर पुलिस परेड की जाये। हाम गाड़/एनजीओओं के दलों को भी इस प्रयोजन के लिये पुलिस के साथ प्रयोग में लाया जाये।
- (ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में विशेष उत्सवों का आयोजन किया जाये, जिसमें सामूहिक राष्ट्रगान भी हो। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे इस सामारोह में विशेष रूप से भाग लें। इस सम्बन्ध में हिदायतें शिक्षा विभाग द्वारा अलग से जारी की जायेंगी।
- (ग) राष्ट्रीय ध्वज सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाये।

भवदीय

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/ विधान सभा एवं पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति राज्यपाल, हरियाणा के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव (मनदीप सिंह बराड़) /विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/ विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/प्रधान विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के विशेष वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अतिरिक्त प्रधान सचिव / उप प्रधान सचिव (मनदीप सिंह बराड़) /विशेष कार्य अधिकारी (अमरजीत सिंह)/विशेष कार्य अधिकारी (भूपेश्वर दयाल)/विशेष कार्य अधिकारी (नीरज दफतुआर), राजनैतिक सचिव (दीपक मंगला), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा /मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/ सरकार के मुख्य सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के सूचनार्थ भेजी जाती है।

अधीक्षक राजनैतिक।

पृ० क्रमांक 46/5/2000-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है—

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा।
2. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा।
4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।

अधीक्षक राजनैतिक।

